



## घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी, निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे ऐसी कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कुशल संचालन हेतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान:-.....

दिनांक-.....

हस्ताक्षर

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाइट-[www.udhd.jharkhand.gov.in](http://www.udhd.jharkhand.gov.in) एवं झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाइट-[www.rera.jharkhand.gov.in](http://www.rera.jharkhand.gov.in) पर देखी जा सकती है।

*कौशल*  
6-6-19

(कौशल किशोर झा)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 06/TCPO(VI/ACC)-07/2016-कॉक - 2275 राँची, दिनांक- 06-6-19

प्रतिलिपि:- श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

*कौशल*  
6-6-19

सरकार के अवर सचिव